UPHM010006632026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-77/2026

रामे बनाम मुन्नीलाल आदि

अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना- राठ, जिला- हमीरपुर।

04.05.2026

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों सहित अन्य प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

आवेदक रामे द्वारा प्रार्थना पत्र 3 क, समर्थित शपथ पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह ग्राम अनघौरा, थाना चरखारी, जिला महोबा का निवासी एवं अनुसूचित (चमार) जाति का गरीब व्यक्ति है। उसका पुत्र बृजकिशोर दिनांक 26.01.2026 को अपने मित्र प्रदीप के साथ ग्राम परा, थाना राठ गणतंत्र दिवस की परेड मेला/सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गया था। रात करीब 08:15 बजे वे दोनों प्रदीप की मौसी गुड्डो के घर के सामने खड़े आपस में बात कर रहे थे। उसी समय जौहर, मुन्नीलाल पुत्रगण घुरकाई, प्रथ्वीराज पुत्र मुन्नीलाल, महेंद्र पुत्र मंगल सिंह, प्रकाश पुत्र जौहर, दिनेश पुत्र ब्रगभान, हरीसिंह पुत्र रामनाथ अपने हाथो में जौहर लाइसेंसी रिवाल्वर, महेंद्र तमंचा व बाकी लोग लाठी-डंडा व असलहा लिए मौके पर आ गये। पुरानी रंजिश के कारण प्रदीप के सीने में जौहर ने लाइसेंसी रिवाल्वर अड़ाकर माँ-बहन की गालियों देने लगा। बृजकिशोर प्रदीप को बचाने लगा तो सभी मुल्जिमानों ने कहा कि साले चमरा तू क्यों बीच में पड़ रहा है, तुम लोगों को आज जान से मार डालेंगे। सभी लोगों ने प्रदीप व बृजकिशोर को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो से बुरी तरह मारापीटा एवं बृजकिशोर की मोटरसाइकिल तोड़ दी। मुल्जिमान द्वारा की गयी मारपीट से बृजकिशोर व प्रदीप को गंभीर चोटे आई है। प्रदीप व बृजकिशोर मौके पर बेहोश हो गये। प्रदीप के दोनों हाथों में फैक्चर हो गए है तथा बृजकिशोर के बाएं पैर व हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हो गयी है तथा सिर में गंभीर चोटे आई है। इस घटना को प्रदीप की मां श्याम, मौसी गुड्डों व पड़ोस के कई लोगो ने देखा व सुना है। विपक्षी महेंद्र द्वारा किये गए तमंचे के फायर से विपक्षी पृथ्वीराज के पैर में चोट आयी है। इस घटना के सम्बन्ध में चुटहिलों और मौके पर मौजूद लोगो ने उसे बताया है। मुल्जिमान अनुसूचित जाति के नहीं है और दबंग व असरदार व्यक्ति है। मुल्जिमान ने पुलिस से मिलकर प्रदीप, बृजकिशोर व अन्य के विरुद्ध झूठी एफ०आई०आर० थाना राठ में दर्ज करा दी है। प्रदीप व बृजकिशोर का मेडिकल कालेज झांसी में भर्ती होकर इलाज होता रहा है। घटना के सम्बन्ध में उसने थानाध्यक्ष राठ व सी०ओ० राठ को प्रार्थना पत्र दिए, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को स्वयं व जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है। घटना गम्भीर व संज्ञेय प्रकृति की है। घटना का क्रास वर्जन है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर विवेचना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक की ओर से सूची 5 ख के माध्यम से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 6 ख, रजिस्ट्री रसीदे कागज संख्या 7 ख/1 लगायत 7 ख/2, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 8 ख, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 9 ख, परिवार रजिस्टर की

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.05.05 07:00:14 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

छायाप्रति कागज संख्या 10ख, चुटहिल बृजकिशोर व प्रदीप के मेडिकल रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट व बिल रसीद की छायाप्रतियां कागज संख्या 11ख/1 लगायत 11ख/14 दाखिल किए गए हैं।

थाना राठ, जिला हमीरपुर की आख्या के अनुसार कोई अभियोग उक्त के सम्बन्ध में पंजीकृत न होने की आख्या दी गयी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नामजद विपक्षीगण पर दिनांक 26.01.2026 को रात्रि करीब 08:15 बजे उसके पुत्र बृजकिशोर व उसके मित्र प्रदीप को लाठी–डन्डों व असलहों से मारपीट व गाली गलौज करने, बृजकिशोर को जातिसूचक शब्द साले चमरा कहकर अपमानित करने व उसकी मोटर साइकिल तोड़ देने का आरोप लगाया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 26.01.2026 को रात्रि करीब 08:15 बजे विपक्षीगण द्वारा आवेदक के पुत्र बृजकिशोर व उसके मित्र प्रदीप को लाठी–डन्डों व असलहों से मारपीट व गाली गलौज करने, बृजकिशोर को जातिसूचक शब्द साले चमरा कहकर अपमानित करने व उसकी मोटर साइकिल तोड़ देने का कथन किया है। उक्त घटना में आवेदक के पुत्र बृजकिशोर के बाएं पैर व हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हो जाने व उसके सिर में गंभीर चोटे आने तथा उसके मित्र प्रदीप के दोनों हाथों में फैक्चर हो जाने का कथन किया है। आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कागज सं० 11ख/1 लगायत 11ख/14 चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किए हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का परिलक्षित होता है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य विवेचना के माध्यम से ही प्रकाश में आना संभव है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना कराए जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था मुहम्मद युसुफ बनाम अफाक जहाँ आदि **ए०आई०आर० 2006 (54) एससी 530(एससी) एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य, 2001 (43) ए०सी०सी० 50 (All) (F.B.) व सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य, 2007 (59) ACC 739 (All–D.B.)** में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं प्रकट किए गए विधिक मत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है।

क्षेत्राधिकारी राठ हमीरपुर को आदेशित किया जाता है कि वह इस प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों के बाबत मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराना सुनिश्चित करें।

क्षेत्राधिकारी राठ हमीरपुर को आदेशित किया जाता है कि वह थाना राठ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के 24 घण्टे के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

दिनांक–04.05.2026

(रनवीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।